न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

जी सी एम एस न0 :—2022/49   दर्ज दिनांक:—18.01.2022

मुकदमा नम्बर:— 24/2022   निर्णय दिनांक:—13.04.2023

1. मांगूसिंह पुत्र सार्दुलसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

वादी

बनाम

1. इन्द्र कंवर पुत्री चतरसालसिंह
2. गिरवर सिंह पुत्र चतरसालसिंह
3. दशरथसिंह पुत्र चतरसालसिंह
4. प्रेम कंवर पुत्री चतरसालसिंह
5. महेन्द्रसिंह पुत्र छगनसिंह
6. माली कंवर पुत्री भागसिंह
7. राजेन्द्रसिंह पुत्र चतरसालसिंह
8. विजेन्द्रसिंह पुत्र छगनसिंह
9. समदर कंवर पुत्री छगनसिंह
10. सुमित्रा पुत्री छगनसिंह
11. सुरेन्द्र पुत्र चतरसालसिंह
12. सरोज कंवर पुत्री भागसिंह
13. महावीर पुत्र भागचन्द जाति जांगिड़
14. उपेन्द्र पुत्र नर्बदा देवी
15. तारादेवी पुत्री नर्बदा देवी
16. नोरंगलाल पुत्र ख्याली
17. पुष्पा देवी पुत्री नर्बदा देवी
18. ब्रम्दत जागिड पुत्र ख्याली
19. मदनलाल पुत्र ख्याली
20. महेन्द्र पुत्र नर्बदा देवी
21. सरोज देवी पुत्री नर्बदा
22. हजारी लाल पुत्र ख्याली
23. इचरज कंवर पुत्री सार्दुलसिंह
24. वल्लभ कंवर पुत्री सार्दुलसिंह

समस्त जाति जांगिड निवासीगण ग्राम सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी।

25. तहसीलदार तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनू

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:18 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

दावा–घोषणार्थ, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 13.04.2023

वादी ने जरिये अधिवक्ता दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम सुरपुरा की सरहद में हाल खसरा 134, 135 रकबा क्रमशः 0.22, 0.22 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 अवस्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 5/36 व प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का प्रत्येक का 1/18, 1/18 हिस्सा है तथा शेष हिस्स प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का है इसी प्रकार ग्राम चक जोधपुरा की सरहद में भूमि खसरा न0 567, 568 रकबा क्रमश 0.32, 0.2100 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4300 है0 अवस्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है तथा शेष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 का दर्ज राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 23 व 24 ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 से आपस में आपसी सहुलियत से बटवारा कर रखा है तथा मौके पर काबिज है तथा वादी व प्रतिवादी सख्या 23 व 24 खसरा न0 134 रकबा 0.22 है0 स्थित ग्राम सुरपुरा पर काबिज काश्त परन्तु राजस्व रिकार्ड में ग्राम सुरपुरा की सरहद में वादी व प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का कुल 1/4 हिस्सा दर्ज है उसकी जगह 1/2 हिस्सा दर्ज करवाना चाहते है तथा ग्राम चक जोधपुरा में अपना हिस्सा त्याग कर उसकी जगह ग्राम सुरपुरा वाली भूमि में दर्ज करवाना चाहते है। ताकि वादी के सामने भविष्य में कोई विवाद नही हो।वादी बखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 द्वारा दिनांक 20.12.2021 को बंटवारे से इन्कार होने तथा उसी दिन वादी के कब्जे काश्त की भूमि में व्यवधान डालने के रोज माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अन्त में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि (क) वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम सुरपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 134 रकबा 0.2200 है0 में वादी को हिस्सा 4/9 तथा प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का प्रत्येक का 5/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना प्रार्थनीय है। (ख) ग्राम सुरपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 135 तथा ग्राम चक जोधपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 567, 568 में वादी व प्रतिवादी सख्या 23 व 24 का नाम हजफ फरमाया जावे। (ग) प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम सुरपुरा की सरहद में भूमि खसरा न0 134 रकबा 0.22है वादी के कब्जे काश्त में तथा लांट बांट करने में कोई व्यवधान नही डाले। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादीगण न0 2, 5 ,11, 13, 16, 19, 22 ने जरिये वकिल इकबालिया जबाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 6 लगायत 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23 लगायत 25 बावजूद तामिल सूचना व बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

वादी मांगू सिंह ने साक्ष्या शपथ पत्र पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

बहस वाद पत्र श्रवण कि गई। बहस के दौरान वादीगण वकील ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम सुरपुरा की सरहद में हाल खसरा 134, 135 रकबा क्रमशः 0.22, 0.22 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 अवस्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 5/36 व प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का प्रत्येक का 1/18, 1/18 हिस्सा है तथा शेष हिस्स प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का है इसी प्रकार ग्राम चक जोधपुरा की सरहद में भूमि खसरा न0 567, 568 रकबा क्रमश 0.32, 0.2100 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4300 है0 अवस्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है तथा शेष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 का दर्ज राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा है।वादी व प्रतिवादी संख्या 23 व 24 खसरा न0 134 , 135 रकबा क्रमश 0.22, 0.22 है0 कुल रकबा 0.44 है0 राजस्व रिकार्ड में ग्राम सुरपुरा की सरहद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का कुल 1/4 हिस्सा दर्ज है उसकी जगह 1/2 हिस्सा दर्ज करवाना चाहते है अर्थात खसरा न0 134 रकबा 0.22 है0 पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 23 व 24 सम्पूर्ण पर काबिज काश्त है अतः खसरा न0 134 रकबा 0.22 है0 में वादी को हिस्सा 4/9 तथा प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का प्रत्येक का 5/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना प्रार्थनीय है तथा ग्राम सुरपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 135 तथा ग्राम चक जोधपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 567, 568 में वादी व प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का नाम हजफ फरमाया जाना प्रार्थनीय है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम सुरपुरा के भूमि खसरा न0 134 रकबा 0.22 है0 में वादी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान न डाले तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। बहस में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमती दी।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 5 ,11, 13, 16, 19, 22 ने वादी का वादपत्र स्वीकार किया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज व डाले गये प्रदर्स से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:18 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(झुन्झुनूं)

आदेश

वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम सुरपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 134 रकबा 0.22 है0 में वादी को हिस्सा 4/9 तथा प्रतिवादी संख्या 23 व 24 को प्रत्येक को 5/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम सुरपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 135 तथा ग्राम चक जोधपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न0 567, 568 में वादी व प्रतिवादी संख्या 23 व 24 का नाम हजफ फरमाया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि ग्राम सुरपुरा की सरहद में भूमि खसरा न0 134 रकबा 0.22 है0 में वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी व व्यवधान नही डाले । तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

13/4/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 13/4/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

13/4/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:01:18 IST
Reason: SelfAttested